(6)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/181

रमेश गोस्वामी आत्मज मांगीलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1 सुरज बाई पत्नि स्व0 रमेश गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

1/2 सुरेश गोस्वामी आत्मज स्व0 रमेश गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

1/3 ज्योति पुत्री स्व0 रमेश गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज बजरंगलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
2. गोपाल आत्मज राजमल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कमल कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 20.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 59/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

प्रस्तुत है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 12 बिस्वा गै०मु० खलिहान ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 69 में अन्य भूमियो के साथ प्रतिवादी गोपाल आ० राजमल गोस्वामी निवासी ग्राम देलून्दा के खाते में दर्ज है। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 613 अन्य कृषि भूमियो के साथ पूर्व में राजमल कल्याण व मांगीलाल पिता अणदीलाल कौम बाबाजी गुसाई निवासीगण ग्राम देलून्दा के खाते में जमाबन्दी संवत 2038 से 41 में दर्ज थी। इस जमाबन्दी में कुल भूमि 22 बीघा 6 बिस्वा थी । वादी रमेश चन्द पूर्व खातेदार स्व० मांगी लाल का एक मात्र पुत्र एंव उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी गोपाल पूर्व खातेदार स्व० राजमल का पुत्र है। पूर्व खातेदारान एंव उनके उत्तराधिकारियो में संयुक्त कृषि भूमि का बंटवारा होने पर भूमि खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा वादी रमेश चन्द के हिस्से व कब्जे में आयी थी। इस भूमि पर बंटवारे से पहले से ही वादी का कब्जा था और वादी ने इस भूमि में दो घर बना रखे थे। इस भूमि के पूर्व में लटूर मीणा का मकान पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में ओम प्रकाश गोस्वामी का मकान तथा दक्षिण में कल्याण लाल मीणा का मकान है। पूर्व खातेदारान में बंटवारे के समय सहवन भूल ओर लेखन की त्रुटि से भूमि खसरासंख्या 613 रकबा 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा प्रतिवादी गोपाल के स्वतंत्र खाते दर्ज हो गयी थी जो इसी प्रकार अभी तक दर्ज चली आ रही है। पक्षकार आपस में मिलने वाले एक ही जाति के व्यक्ति है इस कारण इस गलती का काफी समय बाद पता लगने पर प्रतिवादी गोपाल उसके भाई नन्द किशोर एंव माता धापू बाई ने दिनांक 4–3–99 को 100 रू0 के स्टाम्प पर एक घोषणा पत्र निष्पादित कर दिया था कि भूमि खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा की आबादी के मध्य है जिसमें दो कच्चे घर वादी रमेश ने बना रखे है और उसी का कब्जा है किन्तु गलती से यह भूमि हमारे नाम दर्ज हो गयी है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और भविष्य में भी कोई स्वत्व प्रकट नहीं करेगें। वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा जो वादी को पैतृक संपति के सहमति बंटवारे में प्राप्त हुयी है. इस भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने के लिए अधिकार घोषणा की डिकी न्यायालय से प्राप्त करे। प्रतिवादी गोपाल के खाते में उक्त भूमि गलती से दर्ज हो जाने के बाद भी वाद प्रस्तुति के पूर्व तक लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर स्वयं को स्वामी प्रकट करते हुए उक्त भूमि वादी के कब्जे में चले आने के कारण वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी इस भूमि का वैधानिक खातेदार बन का है। अक्षय तृतीय संवत 2068 को प्रतिवादी सत्यनारायण गोस्वामी ने भूमि खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा पर वादी के कब्जे के दो घर अपने परिवार के रहने के लिए अनुमति से देने की याचना की। वादी रमेश परिवार सहित कोटा रह रहा है इस कारण अपने जाति एव परिवार का नजदीकी व्यक्ति होने के कारण वादी रमेश ने उपरोक्त वर्णित दोनो कच्चे घर प्रतिवादी सत्यनारायण गोस्वामी को अनुमति से रहने के लिए दे दिए और प्रतिवादी सत्यनारायण ने यह वचन दिया कि जब भी वादी चाहेगा प्रतिवादी सत्यनारायण उक्त दोनो घर एंव उक्त खसरा नंबर की शेष रिक्त भूमि वादी को वापस सम्भला देगा। इस प्रकार प्रतिवादी सत्यनारायण उक्त दोनो घर एंव खसरासंख्या 613 की शेष रिक्त भूमि पर वादी की अनुमति से काबिज चला आ रहा है। वादी को अपने परिवार की आवश्यकता के लिए उक्त दोनो घर एंव भूमि की

आवश्यकता होने के कारण प्रतिवादी सत्यनारायण को दिनांक 16–4–18 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवा कर उक्त दोनो घर एंव भूमि पर रहने की अनुमति समाप्त कर दी और नोटिस प्राप्ति के 15 दिन में वादी को कब्जा सम्भलाने का निर्देश दिया। यह नोटिस प्रतिवादी सत्यनारायण को प्राप्त हो गया किन्तु अभी तक प्रतिवादी सत्यनारायण ने वादी की ओर से अनुमतित कब्जे में चले आ रहे दोनो घर एंव भूमि रिक्त करके वादी को नहीं सम्गलाई है और न ही नोटिस का जवाब दिया है। यही वादोत्पत्ति का कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा एंव इसमें बने हुये दोनो घर से प्रतिवादी सत्यनारायण को बैदखल करके कब्जा प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करे तथा इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने, दोनो घर में तोडफोड नहीं करने और वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। वादी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वाद प्रस्तुत करने की तारीख से वाद विषयक भूमि एंव दोनो घर के उपयोग उपभोग का हर्जा 1000 रू0 प्रति माह प्रतिवादी सत्यनारायण से कब्जा प्राप्त होने तक वसूल करे। प्रतिवादी सत्यनारायण ने वादी को दिनांक 21–6–18 को धमकी दी है कि वह वाद विषयक दोनो घर को गिरा कर नष्ट कर देगा तथा इस भूमि पर नया निर्माण करेगा। प्रतिवादी सत्यनारायण उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है और अपना अवेध कब्जा अन्य व्यक्तियो को हस्तान्तरित करने पर भी आमादा है। ऐसी स्थिति में वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है ओर राज० राज्य को वाद पूर्व निर्धारित अवधि का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है इस कारण राजस्थान राज्य को नोटिस दिए बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80 (2) जा०दी० पेश है। वाद कारण भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए नोटिस दिनांक 16–4–18 की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 5–5–18 को तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादी सत्यनारायण द्वारा धमकी देने पर दिनांक 21–6–18 को न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। न्यायालय को वाद श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्नांकित डिक्री पारित की जावे कि– (1)–भूमि खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में खातेदार के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। (2)–प्रतिवादी सत्यनारायण गोस्वामी को भूमि खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा ग्राम दलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी से बैदखल किया जाकर वादी को इस भूमि एंव इसमें बने हुए दोनो घर पर कब्जा दिलवाया जावे। (3)–वाद प्रस्तुति तिथि से वादी को कब्जा प्राप्त होने तक प्रतिवादी सत्यनारायण से उक्त भूमि एंव दोनो घर का उपयोग उपभोग का हर्जा 1000 रू० प्रति माह दिलवाया जावे। (4)–प्रतिवादी सत्यनारायण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विषयक भूमि पर बने हुए दोनो घर को नष्ट नहीं करे कोई तोडफोड नहीं करे नया निर्माण नहीं करे और वाद विषयक भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रहन वैचान व भारग्रस्त नहीं करे। (5)–वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी सत्यनारायण से दिलवाया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 27.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।कृषि भूमि खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा पूर्व में वादी के पिता मांगीलाल एवं उनके भाई राजमल व कल्याण के संयुक्त खाते में जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2041 में दर्ज थी तथा इस भूमि पर वादी का उसके पिता के समय से मकान बना हुआ है। बंटवारे में सहवन भूल से यह भूमि प्रतिवादी गोपाल के खाते में दर्ज हो गई हैं। जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 04/03/1999 को प्रतिवादी गोपाल उसकी माता धापू बाई तथा भाई नन्दकिशोर ने 100/–रूपयें के स्टाम्प पर एक घोषणा पत्र निष्पादित करके वाद ग्रस्त भूमि मकान सहित वादी व उसके पिता के कब्जे में चले आना स्वीकार किया हैं तथा वादी के खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को वैधानिक रूप से विवेचन नहीं किया हैं। वाद ग्रस्त कृषि भूमि पैत्रिक सम्पत्ति हैं तथा सहमति बंटवारे में वादी के हिस्से में आयी है, ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण वाद विचारण में अनुपस्थित रहे हैं, उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं तथा वादी के कथन एवं साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ हैं, ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत हैं। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत त्रुटिपूर्ण है कि वादी पूर्व निर्णय की अपील करें, जबकि राजस्व दस्तावेजात से वाद ग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति की होना एवं संयुक्त खाते में होना प्रमाणित हैं। आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद उनके श्रवणाधिकार में नहीं होना मानकर कानूनी त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने यह वाद पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या खारीज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है ।

अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी में है जो उसके विधिक रूप से बंटवारें में प्राप्त हुई है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के ना तो अभिलिखित खातेदार है और ना ही अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी के निर्णय दिनांक 09.07.1991 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज हुई है तथा इसी निर्णय दिनांक 09.07.1991 द्वारा अन्य आराजीयात अपीलांटगण को विभाजन में प्राप्त हुई है। अपीलांटगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 09.07.1991 को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः उक्त निर्णय दिनांक 09.07.1991 आज भी प्रभावी है। निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.1991 को निरस्त करवाये बिना अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा की खसरा नम्बर 613 रकबा 12 बिस्वा के सम्बंध में हक घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार गोपाल वल्द राजमल कौम गुसाई की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 की भूमि पूर्व में राजमल, कल्याण व मांगीलाल पिता अणदीलाल के संयुक्त खाते में थी, रमेशचन्द खातेदार मांगीलाल का पुत्र है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 की भूमि विभाजन के फलस्वरूप वादी अपीलांट रमेशचन्द के हिस्से में आई है। वादी अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी में प्रस्तुत वाद संख्या 106/89 एवं उक्त वाद संख्या 106/89 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.1991 एवं डिक्री दिनांक 19.04.1993 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की है। उक्त वाद संख्या 106/89 अपीलांट रमेश गोस्वामी के पिता मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा वादी मांगीलाल एवं अन्य प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद में दिनांक 20.05.1988 को राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त राजीनामा दिनांक 20.05.1988 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 रकबा 12 बिस्वा भूमि गोपाल के हिस्से में एवं खाते में रखे जाने की सहमति होने का अंकन है। न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.1991 में वादीगण का वाद मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 रकबा 12 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी गोपाल आत्मज राजमल के हिस्से व कब्जे में रखे रखे जाने का आदेश अंकित है।

प्रस्तुत है।

(11)

अपील संख्या 2024/181
रमेश गोस्वामी बनाम सत्यनारायण वगै0

अतः वादग्रस्त भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.1991 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 गोपाल के खाते दर्ज हुई है। अपीलांटगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रश्नगत निर्णय दिनांक 09.07.1991 को चुनौती दिए जाने का अंकन हो। अतः न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.1991 आज भी अस्तित्व में है। निर्णय दिनांक 09.07.1991 की पालना में प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोपाल के खाते दर्ज हो चुकी है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.1991 को निरस्त करवाये बिना प्रश्नगत खसरा नम्बर 613 रकबा 12 बिस्वा भूमि के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2024 में वादी अपीलांट को वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 59/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा